

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज०)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

आदेश संख्या-41/2024

आदेश प्रविष्टि दिनांक-13.05.2024

निर्णय दिनांक-03.01.2025

1. प्रकाश चन्द पुत्र गोप्या उर्फ गोपी जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी प्लाट नम्बर 12 सरोज विहार, रेलवे स्टेशन के पास सांगानेर, जिला जयपुर (राज०)
2. राजू पुत्र गोप्या उर्फ गोपी जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी प्लाट नम्बर 12 सरोज विहार, रेलवे स्टेशन के पास सांगानेर, जिला जयपुर (राज०)
3. सुरेश पुत्र गोप्या उर्फ गोपी जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी प्लाट नम्बर 12 सरोज विहार, रेलवे स्टेशन के पास सांगानेर, जिला जयपुर (राज०)

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बट्टी जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी चिरोज तह० व जिला टोंक (राज०)
2. अनिता पुत्री किशनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी चिरोज तह० व जिला टोंक (राज०)
3. कमली पुत्री किशनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी चिरोज तह० व जिला टोंक (राज०)
4. कैलाशी पुत्री काल्या उर्फ कल्याण जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी नानेर तह० पीपलू जिला टोंक (राज०)
5. गंगा पुत्री किशनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी चिरोज तह० व जिला टोंक (राज०)
6. जगदीश पुत्र किशनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी चिरोज तह० व जिला टोंक (राज०)
7. जयनारायण पुत्र काल्या उर्फ कल्याण जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक (राज०)
8. नानगी पुत्री माता धापू जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी चिरोज तह० व जिला टोंक (राज०)
9. बदाम पत्नि मांगीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक (राज०)
10. भूली देवी पत्नि बट्टी जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी चिरोज तह० व जिला टोंक (राज०)
11. मूलचन्द पुत्र ग्यारसा उर्फ ग्यारसीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक
12. रूकमा पुत्री लादया उर्फ लादू जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी चिरोज तह० व जिला टोंक (राज०)
13. रतनी पुत्री कल्या उर्फ कल्याण जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक हाल निवासी बोरखण्डी कलां तह० पीपलू जिला टोंक (राज०)
14. रवि पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह० पीपलू जिला टोंक (राज०)

उप खण्ड आधिकारी
पीपलू (टोंक)

5. राजेन्द्र पुत्र बंदी जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक हाल निवासी विरोज तह0 व जिला टोंक (राज0)
6. राजेश पुत्र बंदी जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक हाल निवासी विरोज तह0 व जिला टोंक (राज0)
7. रामलाल पुत्र ग्यारसा उर्फ ग्यारसीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक
8. विमला पुत्री मांगीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. संतोष पुत्री बंदी जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक हाल निवासी विरोज तह0 व जिला टोंक (राज0)
10. सोनू पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. हंसराज पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक हाल निवासी विरोज तह0 व जिला टोंक (राज0)
12. रामधन पुत्र बाल्या जाति रेगर निवासी ग्राम बनवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक हाल निवासी विरोज तह0 व जिला टोंक (राज0)
13. तहसीलदार पीपलू
14. उप पंजीयक पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

विधिवक्ता वादीगण—श्री ओमप्रकाश यादव एड0

विधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 07, 09, 11, 14, 17, 21 व 22—श्री हेमराज गुर्जर एड0

विधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 06, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20—अनुपस्थित

दावा बाबत तकासमा आराजीयात

अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय


पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1116, 1157, 1160, 1164, 1193, 1236, 1433, 1448, 474 कुल किता 09 कुल रकबा 3.1107 हैक्ट. वाके ग्राम बनवाडा, पटवार हल्का बनवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी संख्या 01 का 19/294 हिस्सा व वादी संख्या 02 का 19/294 व वादी संख्या 03 का 25/294 हिस्सा है। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 ता 22 के नाम-दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। किन्तु मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा किये गये बहामी बंटवारे अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमियो का पक्षकारान् के मध्य विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। मौके पर वादीगण अपने हिस्से पर पूर्वजो के द्वारा किये गये लिखित बंटवारे दिनांक 06.12.2001 के अनुसार ख0न0 1193 व 1236 पर काबिज होकर बिना किसी रुकावट के काश्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु जमाबंदीयां संयुक्त रूप से होने से वादीगण को अपने हिस्से की भूमियो के उपयोग उपनोग करने एवं राजस्व लगान आदि जमा कराने में परेशानिया उत्पन्न होती है। वादीगण अपने हिस्से का विभाजन करवाकर जो हिस्से की

me
उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)


वादीगण के कब्जे काशत में चली आ रही है। उस भूमियों का विधिवत् तकास्मा करवाकर अलग खाता कायम करने के हकदार है। अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् विभाजन फरमाया जाकर भूमि आराजी ख0न0 1116, 1157, 1160, 1164, 1193, 1236, 1433, 1448, 474 कुल किता 09 कुल रकबा 3.1107 हैक्ट. वाके ग्राम बनवाडा, पटवार हल्का बनवाडा में मौके पर कब्जे अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के विधिवत् विभाजन कराया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 07, 09, 11, 14, 21 व 22 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमराज गुर्जर ने वकालतनामा प्रस्तुत कर वाद वादीगण प्राथमिक की किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 01 ता 06, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 किये जाने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 01 ता 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही में अमल में लगी जा चुकी है।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 भूमि आराजी ख0न0 1116, 1157, 1160, 1164, 1193, 1236, 1433, 1448, 474 कुल किता 09 कुल रकबा 3.1107 हैक्ट. वाके ग्राम बनवाडा, पटवार हल्का बनवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी संख्या 01 का 19/294 हिस्सा व वादी संख्या 02 का 19/294 व वादी संख्या 03 का 25/294 हिस्सा है। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 ता 22 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। किन्तु मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा किये गये बहामो बंटवारे अनुसार काबिज होकर काशत करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमियों का पक्षकारान् के मध्य विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। मौके पर वादीगण अपने हिस्से पर पूर्वजो के द्वारा किये गये लिखित बंटवारे दिनांक 06.12.2001 के अनुसार ख0न0 1193 व 1236 पर काबिज होकर बिना किसी रूकावट के काशत करते चले आ रहे है, परन्तु जमाबंदीयां संयुक्त रूप से होने से वादीगण को अपने हिस्से की भूमियों के उपयोग उपभोग करने एवं राजस्व लगान आदि जमा कराने में परेशानिया उत्पन्न होती है। वादीगण अपने हिस्से का विभाजन करवाकर जो हिस्से की भूमि वादीगण के कब्जे काशत में चली आ रही है। उस भूमियों का विधिवत् तकास्मा करवाकर अलग खाता कायम करवाने के हकदार है। अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् विभाजन फरमाया जाकर भूमि आराजी ख0न0 भूमि आराजी ख0न0 1116, 1157, 1160, 1164, 1193, 1236, 1433, 1448, 474 कुल किता 09 कुल रकबा 3.1107 हैक्ट. वाके ग्राम बनवाडा, पटवार हल्का बनवाडा में मौके पर कब्जे अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् विभाजन कराया जावे। प्रतिवादी संख्या 07, 09, 11, 14, 17, 21 व 22 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमराज गुर्जर ने वाद वादीगण मुताबिक वादपत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

उर्फ कल्याण हिस्सा 31107/684376 जाति रेगर सा.देह खातेदार, गंगा पुत्री किशनलाल हिस्सा
31107/3421880 जाति रेगर सा.देह खातेदार, जगदीश पुत्र किशनलाल हिस्सा 31107/3421880 जाति रेगर सा.
खातेदार, जयनारायण पुत्र काल्या उर्फ कल्याण हिस्सा 591033/6843760 जाति रेगर सा.देह खातेदार, नानगी
माता धापू हिस्सा 62269/1710940 जाति रेगर सा.देह खातेदार, बदाम पत्नि मांगीलाल हिस्सा
31107/622160 जाति रेगर सा.देह खातेदार, बाल्या पुत्र मैरू हिस्सा 31107/622160 जाति रेगर सा.देह खातेदार,
देवी पत्नि बंदी हिस्सा 31107/4277350 जाति रेगर सा.देह खातेदार, मूलचन्द पुत्र ग्यारसा उर्फ ग्यारसीलाल
हिस्सा 902103/6843760 जाति रेगर सा.देह खातेदार, रूकमा पुत्री लादया उर्फ लादू हिस्सा 31107/171094
जाति रेगर सा.देह खातेदार, रतनी पुत्री काल्या उर्फ कल्याण हिस्सा 31107/684376 जाति रेगर सा.देह खातेदार,
पुत्र मांगीलाल हिस्सा 31107/3421880 जाति रेगर सा.देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र बंदी हिस्सा
31107/4277350 जाति रेगर सा.देह खातेदार, राजेश पुत्र बंदी हिस्सा 31107/4277350 जाति रेगर सा.देह
खातेदार, रामलाल पुत्र ग्यारसा उर्फ ग्यारसीलाल हिस्सा 902103/683760 जाति रेगर सा.देह खातेदार, विमला
पुत्री मांगीलाल हिस्सा 31107/3421880 जाति रेगर सा.देह खातेदार, संतोष पुत्री बंदी हिस्सा 31107/4277350
जाति रेगर सा.देह खातेदार, सोनू पुत्र मांगीलाल हिस्सा 31107/3421880 जाति रेगर सा.देह खातेदार, हंसराज
पुत्र मांगीलाल हिस्सा 31107/3421880 जाति रेगर सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा।
तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे
एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का
अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा
लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार
दाखिल दफतर हो।


उर्फ अशोक कुमार (खटीक)
उपसहायक अधिवक्ता पीपलू,
जिला टाक (राज०)